दिनांक 23.03.2021	
प्रेस विज्ञप्ति 23/21	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पडरौना

- **75 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.03.2021 को थाना कोतवाली पडरौना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खिरिया टोला के आगे बडी नहर पुलिया के पास से 75 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 आशिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर, देवरिया, इटावा व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना तरयासुजान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 232/2019 में गिरफ्तारी के उपरान्त जिला कारागार देवरिया ले जाते समय फरार हो गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जोनल स्तर से 75 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पडरौना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मो0आशिफ निवासी बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित कारतूस।

जनपद बरेली/थाना विशारतगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.03.2021 को थाना विशारतगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मलगांव के पास से चेकिंग के दौरान 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त भारत उर्फ भर्रे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त डकैती के अभियोग में 07 वर्ष की सजा में जेल में था, वर्ष 2013 में मा0 उच्च न्यायालय से अपील के आधार पर अवमुक्त हुआ, तब से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना विशारतगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भारत उर्फ भर्रे निवासी अतरछेड़ी थाना विशारतगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद श्रावस्ती/थाना सोनवा

- **15—15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.03.2021 को थाना सोनवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 15—15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—लल्लू, 2—गन्नू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सोनवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 193/2020 धारा 302 भादवि में वाछिंत चल रहे थे, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सोनवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लल्लू निवासी लोनियन पुरवा थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती।
2—गन्नू निवासी लोनियनपुरवा लालपुरमहरी थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फर्रूखाबाद

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 13 किलो अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 23.03.2021 को थाना कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बी0आर0एस0 लॉन से चाँदपुर की ओर जाने वाले रास्ते के पास से मादक पदार्थ तस्कर दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 02 करोड रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 13 किलो अवैध अफीम बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना फर्रूखाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दिनेश कुमार निवासी रमपुरा थाना शाही जनपद बस्ती।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 02 करोड रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 13 किलो अवैध अफीम।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर</u>

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 100 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 स्कूटी आदि बरामद**

दिनांक 22.03.2021 की रात्रि थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जैतीपुर रोड़ के पास से मादक पदार्थ तस्कर नदीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नदीम निवासी मो0 उम्मरपुर कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 100 ग्राम अवैध स्मैक।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 सौ लीटर एक्सट्रा नार्मल एल्कोहल रेक्टीफाइड**
- **01 हजार लीटर अवैध अपमिश्रित शराब**
- **2,200 पव्वे अपमिश्रित शराब**
- **30 हजार खाली पव्वे, 01 लाख ढक्कन,**
- **01 लाख 78 हजार रैपर विभिन्न मार्का**
- **शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 22/23.03.2021 की रात्रि थाना खुर्जानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आई0एस0के0 इंटस्ट्रीज के पास स्थित फैक्ट्री से अपमिश्रित शराब बनाने वाले 03 अभियुक्त 1–रिजवान, 2–सोनू, 3–सुभाष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 06 सौ लीटर एक्सट्रा नार्मल एल्कोहल रेक्टीफाइड, 01 हजार लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 2,200 पव्वे अपमिश्रित शराब, 30 हजार खाली पव्वे, 01 लाख ढक्कन, 01 लाख 78 हजार रैपर विभिन्न मार्का व शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिजवान निवासी मो0 शेख साहिबान कस्बा थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर हाल पता नाला रोड मंडी बाजार हीना कॉलोनी के पास खुर्जानगर बुलन्दशहर।

2–सोनू निवासी नगला मोती थाना हाथरस जक्शन जनपद हाथरस।

3–सुभाष निवासी करतला थाना बागवाला जनपद एटा।

बरामदगी

1–06 सौ लीटर एक्सट्रा नार्मल एल्कोहल रेक्टीफाइड।

2–01 हजार लीटर अवैध अपमिश्रित शराब।

3–2,200 पव्वे अपमिश्रित शराब।

4–30 हजार खाली पव्वे।

5–01 लाख ढक्कन।

6–01 लाख 78 हजार रैपर विभिन्न मार्का।

7–शराब बनाने के उपकरण आदि।

जनपद बागपत/थाना बड़ौत (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 60 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बागपत पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी अनुज बरखा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 60 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एस0टी0एफ0– थाना चॉदा, सुलतानपुर के गैगेस्टर के मुकदमें में वांछित व रू0 25,000/का पुरस्कार घोषित अपराधी शाह आलम जनपद अम्बेडकर नगर से गिरफ्तार।

दिनांक 22–03–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना चॉदा, जनपद–सुलतानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 433/2020 धारा 2/3 (1) गै0एक्ट में वांछित व रू0 25,000/का पुरस्कार घोषित अपराधी शाह आलम को जनपद अम्बेडकर नगर के थाना क्षेत्र बसखारी से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– शाह आलम पुत्र इबरार नि0 शास्त्री नगर, कोईरीपुर, थाना चॉदा, जनपद–सुलतानपुर।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक</u> –

मो0 दरगाह रसुलपुर, किछौछा, थाना क्षेत्र बसखारी, जनपद अम्बेडकर नगर दिनांक 22.03.2021 समय 20.05 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों व अपहरण की घटनाओं में सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना चॉदा के मु0अ0सं0 433/2020 धारा 2/3 (1) गै0एक्ट में वांछित व रू0 25,000/का पुरस्कार घोषित अपराधी शाह आलम थाना क्षेत्र बसखारी में देखा गया है। इस सूचना को विकसित करते हुए श्री पवन सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर बताये सम्भावित स्थान पर पहुॅचे। वहॉ पहुुचकर मुखबिर के निशादेही पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर वांछित अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि गांव के पड़ोसी नफीस उर्फ सोनू पुत्र मुख्तार जिला बदर घोषित था, जिला बदर के उलंघन में पुलिस ने उनको उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, उसे छुड़ाने के लिए हम लोगों ने कोईरीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। हम लोग पुलिस वालों से मारपीट किये एवं सरकारी सम्पत्तियों को भी तोड़फोड दिये जिसके विरूद्ध थाना चॉदा, सुलतानपुर पर मु0अ0सं0 30/2020, मु0अ0सं0 32/2020 एवं मु0अ0सं0 433/2020 पंजीकृत हुआ था, उपरोक्त घटना में काफी पुलिस वालों को चोटे आई थीं।

उल्लेखनीय है कि इन लोगों का एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना एजाज पुत्र मुख्तार व नफीस उर्फ सोनू उपरोक्त है, इन लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमें पंजीकृत हैं। एजाज वर्तमान समय में जनपद सुलतानपुर से जिला बदर है तथा दरगाह रसूलपुर किछौछा में रहकर गिरोह का संचालन करता है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को थाना चॉदा, सुलतानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 433/2020 धारा 2/3 (1) गै0एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त शाह आलम का ज्ञात हुआ अपराधिक इतिहासः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	30/2020	147, 332, 353, 224, 225 भादवि	चॉदा	सुलतानपुर
2	32/2020	353,147,148,149,307,336,352,504,506,427 भादवि व 3/4 सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधि0 व 7 आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम	चॉदा	सुलतानपुर
3	433/2020	2/3 (1) गै0एक्ट	चॉदा	सुलतानपुर

<u>एस0टी0एफ0– अपर मुख्य सचिव, (गृह) उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स, उ०प्र० (STF-UP) टीम को रू० 1,00,000/- (रू० एक लाख) नगद पुरस्कार से किया गया पुरस्कृत।</u>

दिनांक 22–03–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 की फील्ड इकाई प्रयागराज में नवगठित जंगल टीम द्वारा दिनांक 05–05–2019 को थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ में दारोगा से सरकारी पिस्टल मय मैगजीन लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त विशाल पासी पुत्र राम अंजोर पासी निवासी पारस नगर, कल्यानपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को डेरवा कुण्डा रोड, थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी हुई सरकारी पिस्टल . 09 mm मय मैगजीन व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद करने में एसटीएफ टीम द्वारा उच्च कोटि का कर्तव्यपरायणता तथा व्यवसायिक दक्षता का परिचय दिया गया, जिससे आम जनमानस में पुलिस की छवि उज्ज्वल हुई, एसटीएफ टीम के इस कार्य को मीडिया एवं आम जनमानस में काफी प्रशंसा की गयी।

उल्लेखनीय है कि एसटीएफ टीम द्वारा किये गये इस साहसिक कार्य के लिए अपर मुख्य सचिव, (गृह) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा भी एसटीएफ टीम की प्रशंसा की गयी एवं इस कार्य के लिए टीम को रू0 1,00,000/– (एक लाख मात्र) नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

————————